भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 738

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टीबी रोगियों पर वित्तीय बोझ

738. **श्री बालाशौरी वल्लभनेनी :**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन पर ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि देश में टीबी रोगियों पर भारी वित्तीय/आर्थिक बोझ पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि टीबी रोगी सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क उपचार सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वास्थ्य बीमा कवरेज न होने से लोगों की जेब पर कितना असर पड़ता है और टीबी रोग पर रोगियों को कितना भारी खर्च उठाना पड़ रहा है; और

(घ) टीबी रोगियों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है कि सरकार उनके साथ है और सरकार देश में टीबी के उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में कार्यान्वित किया जाता है। क्षयरोग के उपचार से जुड़ी लागतों को ध्यान में रखते हुए, एनटीईपी के कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप, देश भर में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सभी क्षयरोगियों के लिए नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क निदान और नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित करते हैं। क्षयरोग सेवाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्तर तक विकेन्द्रीकृत किया गया है और सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों और अभिज्ञात निजी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में लाभार्थियों द्वारा नि:शुल्क उपचार सेवाओं का लाभ उठाया जाता है, जिनमें स्वास्थ्य बीमा कवरेज रहित सुविधाएं भी शामिल हैं। जेब से होने वाले खर्च और भारी-भरकम लागत को और कम करने

के लिए, सरकार ने नि-क्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत उपचार की अवधि के लिए प्रति रोगी लाभ 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। अप्रैल 2018 से, एनपीवाई के तहत 1.2 करोड़ लाभार्थियों को 3,246 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। टीबी रोगियों के घरेलू संपर्कों को कवर करने के लिए नि-क्षय मित्र पहल का विस्तार किया गया है। सितंबर 2022 से, 2.55 लाख नि-क्षय मित्रों को पंजीकृत किया गया है और 23.63 लाख खाद्य सामग्रियां वितरित की गई हैं।

सरकार ने टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में तेजी लाने के लिए, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चिन्हित 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 7 दिसंबर 2024 को 100 दिनों का गहन टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। 7 दिसंबर 2024 और 1 फरवरी 2025 के दौरान, 347 जिलों में अभियान के दौरान, 4.94 लाख नि-क्षय शिविर आयोजित किए गए हैं, 5.63 करोड़ कमजोर व्यक्तियों की जांच की गई है और 1.59 लाख नए टीबी रोगियों को संसूचित किया गया है। इसके अलावा, 86,748 नए नि-क्षय मित्रों को पंजीकृत किया गया है और अभियान जिलों में टीबी रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को 1.12 लाख खाद्य सामग्रियां वितरित की गई हैं।

टीबी के लक्षणों, रोकथाम और समय पर उपचार के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने तथा जागरूकता बढ़ाने और टीबी रोगियों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी की जाती है। स्कूलों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं-सहायता समूहों, आंगनवाड़ियों, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी संगठनों को शामिल करके जन भागीदारी कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं।

****